अध्याय–VI: वाहनों, माल एवं यात्रियों पर कर

6.1 कर प्रशासन

राज्य में मोटर यान पर कर एवं शुल्क का आरोपण एवं संग्रहण मोटर यान (मो0या0) अधिनियम, 1988, केन्द्रीय मोटर यान (के0मो0या0) नियमावली, 1989 उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (उ0प्र0मो0या0क0) अधिनियम, 1997, उत्तर प्रदेश मोटर यान कराधान (उ0प्र0मो0या0क0) नियमावली, 1998, कैरैज बाई रोड (कै0बा0रो0) अधिनियम, 2007, कैरिज बाई रोड (कै0बा0रो0) नियमावली, 2011, तथा समय–समय पर शासन एवं विभाग द्वारा जारी विभिन्न अधिसूचनाओं, परिपत्रों एवं शासकीय आदेशों (शा0आ0) के अधीन नियंत्रित होता है।

शासन स्तर पर प्रमुख सचिव, परिवहन, उत्तर प्रदेश प्रशासनिक प्रमुख होते हैं। करों एवं फीस के निर्धारण एवं संग्रहण की सम्पूर्ण प्रक्रिया परिवहन आयुक्त (प0आ0), उत्तर प्रदेश, द्वारा शासित एवं पर्यवेक्षित की जाती है, जिनकी सहायता मुख्यालय पर पाँच अपर परिवहन आयुक्तों द्वारा की जाती है।

क्षेत्र में छः[1] उप परिवहन आयुक्त (उ0प0आ0), 19 सम्भागीय परिवहन अधिकारी[2] (स0प0अ0) तथा 75 सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (स0स0प0अ0) (प्रशासन) हैं। स0प0अ0 परिवहन यानों से सम्बन्धित परमिटों के निर्गम एवं नियंत्रण के सम्पूर्ण कार्य का निर्वहन करते हैं। स0स0प0अ0 परिवहन यानों एवं गैर परिवहन यानों, दोनों से सम्बन्धित करों, फीस के निर्धारण एवं आरोपण के कार्य का निर्वहन करते हैं। उप सम्भागीय परिवहन कार्यालयों का सम्पूर्ण प्रशासनिक दायित्व सम्बन्धित स0प0अ0 के पास होता है।

राज्य में 114 प्रवर्तन दल हैं, प्रत्येक दल में एक स0स0प0अ0 (प्रवर्तन), एक पर्यवेक्षक एवं तीन प्रवर्तन सिपाही होते हैं। ये मुख्यालय से सम्बद्ध और जनपद स्तर पर तैनात किये गये हैं।

विभाग द्वारा एक सॉफ्टवेयर यथा, **वाहन** को वाहनों के पंजीकरण, परमिट को जारी/नवीनीकृत करने, कर और फीस का आगणन एवं भुगतान करने, स्वस्थता प्रमाण पत्र को जारी/नवीनीकृत करने, चालान जारी करने एवं शास्ति की धनराशि का भुगतान करने की प्रक्रिया के स्वचालन हेतु अपनाया गया (अक्टूबर 2006) था। इस सॉफ्टवेयर में राजस्व के बकाये, बिना परमिट एवं स्वस्थता प्रमाण पत्र के वाहनों की सूची आदि के प्रतिवेदन को भी उत्पन्न करने की सुविधा है। एक अन्य सॉफ्टवेयर यथा, **सारथी** (जनवरी 2013 में अपनाया गया), को ड्राइविग लाइसेंस के निर्गमन हेतु व वाहनों के पंजीयन व ड्राइविग लाइसेंसों के डाटा को राज्य पंजिका में संकलन हेतु किया गया है।

6.2 लेखापरीक्षा के परिणाम

2018–19 के दौरान, परिवहन विभाग की 76 लेखापरीक्षण योग्य इकाईयों में से 21[3] इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जाँच में 12,965 मामलों में सन्निहित ₹ 1,427.40 करोड़ के कर/शास्ति की न/कम वसूली एवं अन्य अनियमितताओं का पता चला, जैसा कि **सारणी–6.1** में प्रदर्शित किया गया है।

---

1 आगरा, बरेली, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ एवं वाराणसी।

2 आगरा, अलीगढ़, प्रयागराज, आजमगढ़, बाँदा, बरेली, बस्ती, फैजाबाद, गाजियाबाद, गोण्डा, गोरखपुर, झाँसी, कानपुर नगर, लखनऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, सहारनपुर एवं वाराणसी।

3 एक प्रमुख सचिव/परिवहन आयुक्त, 10 स0प0अ0 एवं 10 स0स0प0अ0।

सारणी–6.1

क्र0 सं0	श्रेणियाँ	मामलों की संख्या	धनराशि (₹ करोड़ में)
1	यात्री कर/अतिरिक्त कर व मालकर की कम वसूली	1,193	927.31
2	अन्य अनियमितताएं[4]	11,772	500.09
योग		**12,965**	**1,427.40**

इस अध्याय में ₹ 20.37 करोड़ की धनराशि की अनियमितताओं के 5,126 मामलों की व्याख्या की गयी है। विभाग ने 1,325 मामलों में निहित धनराशि ₹ 6.41 करोड़ को स्वीकार किया है, जिसमें से 550 मामलों में ₹ 1.05 करोड़ की वसूली को प्रतिवेदित किया है। इनमें से कुछ अनियमितताओं को विगत पाँच वर्षों के दौरान बार–बार प्रतिवेदित किया गया है जैसा कि **सारणी–6.2** में वर्णित है। इंगित की गई त्रुटियाँ/चूकें नमूना लेखापरीक्षा पर आधारित हैं। **इसलिए यह जाँच करने के लिए कि क्या समान त्रुटियाँ/चूकें अन्य जगह भी घटित हुई हैं, अगर हाँ, तो उसे सुधारने तथा इस तरह के त्रुटियों/चूकों को रोक सकने हेतु एक प्रणाली को स्थापित करने के लिए शासन/विभाग सभी इकाईयों का व्यापक पुनरीक्षण कर सकते हैं।**

सारणी–6.2

(₹ करोड़ में)

प्रेक्षण की प्रकृति	2013–14		2014–15		2015–16		2016–17		2017–18		योग	
	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि	मामले	धनराशि
जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) बसों पर अतिरिक्त कर का आरोपित न किया जाना	248	19.20	464	30.36	805	35.69	210	1.95	393	2.61	2,120	89.81
राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण न किया जाना	1,973	3.45	105	0.18	440	0.77	–	–	–	–	2,518	4.40

संस्तुतिः

विभाग को लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में इंगित न/कम उदग्रहण किये गये मामलों में अधिक धनराशि की शीघ्र वसूली सुनिश्चित करनी चाहिए।

6.3 शासकीय प्राप्तियों का गबन

शासकीय प्राप्तियों के जमा न किये जाने के कारण ₹ 9.48 लाख का गबन।

उत्तर प्रदेश सरकार की वित्तीय हस्तपुस्तिका[5] में प्रावधानित है कि कोषागार नियम[6] के अंतर्गत, संविधान के अनुच्छेद में परिभाषित सभी धनराशियाँ, शासकीय कर्मचारी को अपनी शासकीय क्षमता के द्वारा प्राप्त या प्रस्तुत की गयी हों को, बिना किसी देरी के पूर्णरूप से कोषागार या बैंक में भुगतान किया जाना चाहिये एवं शासकीय खाते में सम्मिलित किया जाना चाहिये। वित्तीय हस्तपुस्तिका[7] अग्रेतर यह प्रावधानित करती है कि रोकड़ बही की जाँच करते समय, आहरण एवं वितरण अधिकारी (आ0वि0आ0) को रोकड़ बही की प्राप्ति साइड की इन्द्राज नकद प्राप्तियों को सम्बधित प्राप्तियों के प्रतिपर्णों से मिलान करें और सुनिश्चित करे कि उस दिन तक कार्यालय में प्राप्त की

[4] बिना स्वास्थ्यता प्रमाणपत्र के वाहनों का संचालन, यू0पी0एस0आर0टी0सी0 बसों से अतिरिक्त कर के विलम्बित भुगतान पर अर्थदण्ड की वसूली न किया जाना, जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर का आरोपण न किया जाना, दुर्घटना राहत निधि की स्थापना न किया जाना, शासकीय आदेशों के विरूद्व अनियमित भुगतान आदि।

[5] वित्तीय हस्त पुस्तिका खंड–5 भाग–I का प्रस्तर 21।

[6] कोषागार नियम–7(1)।

[7] वित्तीय हस्तपुस्तिका खंडः–5 भाग–II के परिशिष्ट XXVI (शा0आ0 सं0 ए–1–1330/10–4(1)–70 दिनांक 17 मई 1979)।

गयी सभी नकद धनराशि को जिस दिन रोकड़ बही की जाँच की गयी हो में इंद्राज कर लिया गया है, और उसके समक्ष रसीद क्रमांक अंकित कर दिया गया है। आ0वि0आ0 को रसीदों के प्रतिपर्णों पर 'रोकड़ बही में अंकित' शब्द को अभिलिखित करना चाहिये। जब रसीद बुक पूर्णरूप से उपयोग कर ली जाय, तो उसकी जाँच कर यह सत्यापित किया जाय कि रसीद बुक की प्राप्त सभी प्रतिपर्णों का लेखाओं में इंद्राज कर लिया गया है।

कुछ निश्चित अपवाद के साथ, कोई भी गबन या शासकीय धनराशि की हानि, विभागीय राजस्व या प्राप्तियाँ, स्टाम्प, अफीम, स्टोर्स या अन्य सम्पत्ति, कोषागार या अन्य कार्यालय या विभाग में अन्वेषित की गयी हो जो महालेखाकार के लेखापरीक्षा के अंतर्गत आते है, महालेखाकार एवं शासन को तुरन्त ही विभाग के प्रमुख या संभाग के मण्डलायुक्त के माध्यम से प्रतिवेदित कर देना चाहिये, चाहे इस हानि की भरपाई जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा कर दी गयी हो।

लेखापरीक्षा ने स0स0प0अ0 (प्रशासन), रायबरेली के अभिलेखों[8] की नमूना जाँच (सितम्बर 2017 एवं दिसम्बर 2018 के मध्य) की और देखा (जनवरी 2019) कि निम्नांकित वर्णित **सारिणी 6.3**, की धनराशियाँ, लिपिकों द्वारा कार्यालय के विभिन्न अनुभागों में प्राप्त की गयी तथा जिसे न तो रोकड़िया द्वारा संरक्षित सहायक रोकड़ बही/रोकड़ बही में अंकित किया गया और न ही कोषागार/बैंक में जमा किया गया। लेखापरीक्षा ने देखा कि लिपिकों ने रोकड़िया को धनराशि प्राप्त करायी थी तथा उनके द्वारा संरक्षित पंजिका में रोकड़िया के हस्ताक्षर लिये गये थे। यद्यपि स0स0प0अ0 (प्रशासन), जो कि आ0वि0आ0 के उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रहे थे, कोषागार स्क्रॉल से रोकड़ बही में अंकित राशियों की जाँच की गयी थी, वह पता करने में असफल रहे कि लिपिकों द्वारा प्राप्त की गयी धनराशियों को रोकड़ बही में अंकित नहीं किया गया और परिणामस्वरूप कोषागार/बैंक में जमा नहीं किया गया। जिसके कारण ₹ 9.48 लाख का गबन हो गया। विवरण **सारिणी –6.3** में दिया गया है।

सारणी 6.3

क्र0 सं0	कार्यालय में जमा धनराशि की तिथियाँ	रोकड़ अनुभाग द्वारा प्राप्तियों की धनराशि की तिथियाँ	धनराशि (₹ में)	प्राप्ति का विवरण/प्रकार
1	23–01–2018	23–01–2018	69,100	प्रवर्तन शाखा में जमा प्रशमन शुल्क
2	24–01–2018	24–01–2018	1,79,600	––तदैव––
3	25–01–2018	25–01–2018	42,450	––तदैव––
4	27–01–2018	अंकित नहीं	57,950	––तदैव––
5	29–01–2018	30–01–2018	56,100	––तदैव––
6	02–04–2018	02–04–2018	1,95,400	––तदैव––
7	16–05–2018	अंकित नहीं	1,91,500	––तदैव––
8	30–05–2018	अंकित नही	78,249	पटल पर हल्के निजी वाहनों के पंजीयन/कर/फीस के लिये जमा
9	01–06–2018	11–06–2018	41,200	प्रवर्तन शाखा में जमा प्रशमन शुल्क
10	07–06–2018	11–06–2018	36,500	––तदैव––
योग			**9,48,049**	

शासकीय प्राप्तियों के जमा न किये जाने के फलस्वरूप ₹ 9.48 लाख का गबन स0स0प0अ0 (प्रशासन) की असफलता को दर्शाता है और अग्रेतर जाँच करने एवं दोषी अधिकारियों के विरूद्ध कार्यवाही की आवश्यकता है।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (फरवरी 2019)। उत्तर (जुलाई 2020) में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षणों को स्वीकार किया और बताया कि ₹ 9.48 लाख राजस्व क्षति के सापेक्ष ₹ 10.78 लाख की वसूली को चालान के माध्यम

[8] मुख्य रोकड़ बही, सहायक रोबड़ बही, कोषागार चालान, व कोषागार मिलान शीटें।

से जमा कराया जा चुका है। विभाग ने आगे बताया कि गबन में सम्मिलित कर्मचारियों व अधिकारियों को निलम्बन के अधीन रखा गया है और उनके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों के विरूद्व कार्यवाही का अन्तिम निष्कर्ष प्रतीक्षित था (सितम्बर 2020)।

6.4 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर आरोपित न किया जाना

निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित 557 जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण योजना (जे0एन0एन0यू0आर0एम0) बसों पर ₹ 4.98 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण न किया जाना।

राज्य परिवहन उपक्रम (रा0प0उ0) का कोई परिवहन यान उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर प्रयोग में नहीं लाया जायेगा जब तक कि उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 (28 अक्टूबर 2009 को यथा संशोधित) के अन्तर्गत, निर्धारित अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो। तथापि नगर निगम या नगर पालिका की सीमा के अन्तर्गत संचालित रा0प0उ0 के वाहन अतिरिक्त कर के भुगतान से मुक्त हैं।

लेखापरीक्षा ने छः स0प0अ0 के अभिलेखों[9] की नमूना जाँच वर्ष 2018–19 के दौरान की, लेखापरीक्षा ने नगर निगम क्षेत्रों के अन्तर्गत निर्दिष्ट मार्गों के साथ जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों के सूची की दुबारा जाँच की और यह देखा कि फरवरी 2017 एवं फरवरी 2019 की अवधि के मध्य में छः[10] राज्य परिवहन उपक्रम के अन्तर्गत 1,044 में से 557 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसें इन शहरों के निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र के बाहर संचालित हो रहीं थीं, जिसके लिए वे ₹ 4.98 करोड़ के अतिरिक्त कर के भुगतान के दायी थे। सम्बन्धित स0प0अ0 ने इन बसों के मार्ग–सारणी की जाँच नहीं की, और इनके निर्दिष्ट नगरीय क्षेत्र जैसा कि नगर निगम द्वारा परिभाषित किया गया है, के बाहर संचालित होने पर संज्ञान लेने में विफल रहे। जिसके परिणामस्वरूप, ₹ 4.98 करोड़ के अतिरिक्त कर का आरोपण नहीं किया गया, जैसा कि **सारणी–6.4** में वर्णित है।

सारणी–6.4

(₹ लाख में)

क्रम सं0	इकाई का नाम		रा0प0उ0 के अन्तर्गत बसों की संख्या	मामलों की संख्या जिसमें अनियमितता देखी गयी	आरोपणीय अतिरिक्त कर की अवधि	कुल अतिरिक्त कर
1	स0प0अ0	आगरा	170	36	02/17 से 08/18	33.52
2	स0प0अ0	कानपुर नगर	231	23	05/17 से 09/18	16.22
3	स0प0अ0	लखनऊ	260	179	07/17 से 11/18	139.60
4	स0प0अ0	मेरठ	126	104	02/18 से 01/19	82.94
5	स0प0अ0	प्रयागराज	127	113	02/17 से 09/18	115.50
6	स0प0अ0	वाराणसी	130	102	07/17 से 02/19	110.67
योग			**1,044**	**557**		**498.45**

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2018 एवं अप्रैल 2019 के मध्य)। उत्तर (जुलाई 2020) में, विभाग ने बताया कि कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है और वसूली सुनिश्चित की जायेगी।

---

[9] वाहन डेटाबेस, मार्ग पत्रावलियाँ, नगर निगम की दर की सूची, आदि।

[10] आगरा मथुरा सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड, कानपुर सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड, लखनऊ सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड, मेरठ सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड, प्रयागराज सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड एवं वाराणसी सिटी परिवहन सेवा लिमिटेड।

6.5 अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड का अनारोपण

राज्य परिवहन उपक्रम द्वारा नियंत्रित व स्वामित्व वाली कोई भी सार्वजनिक सेवा यान उत्तर प्रदेश में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर तब तक संचालित नहीं किया जायेगा, जब तक कि राज्य सरकार द्वारा सूचित कर के अलावा उसके सम्बंध में देय अतिरिक्त कर की अदायगी न कर दी गयी हो। उ0प्र0मो0वा0क0 नियमावली[11] के अंतर्गत, जहाँ कर या अतिरिक्त कर की अदायगी निर्दिष्ट अवधि में भुगतान नहीं किया जाता है, तो देय कर/अतिरिक्त के पाँच प्रतिशत प्रति माह या उसके भाग के लिये, की दर से (लेकिन देय धनराशि से अधिक नहीं) अर्थदण्ड देय होगा। प्रमुख सचिव ने उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (उ0प्र0रा0स0प0नि0) को निर्देशित किया था (फरवरी 2006) कि संग्रहीत किया गया कुल देय अतिरिक्त कर सीधे ही कोषागार में जमा करेंगे और उ0प्र0रा0स0प0नि0 के मुख्यालय को मूल चालान तथा एक प्रति सम्बंधित स0प0अ0 को जमा करेंगे।

6.5.1 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों द्वारा अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड का अनारोपण

जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों पर अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर ₹ 9.48 करोड़ के अर्थदण्ड का अनारोपण।

लेखापरीक्षा ने स0प0अ0 लखनऊ के अभिलेखों[12] की नमूना जाँच की तथा देखा (दिसम्बर 2018) कि, लखनऊ शहर सेवा लिमिटेड लखनऊ द्वारा संचालित 138 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों के संम्बध में, अक्टूबर 2009 से जून 2013 तक की अवधि का ₹ 9.48 करोड़ का अतिरिक्त कर देय था। यह धनराशि 87 से 107 माहों के विलम्ब से भुगतान (31 अगस्त 2018) की गयी थी। विभाग ने इन 138 जे0एन0एन0यू0आर0एम0 बसों से अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड ₹ 9.48 करोड़ का आरोपण व वसूली नहीं किया।

6.5.2 उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों द्वारा अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड का अनारोपण

उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों पर अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर ₹ 4.46 करोड़ का अर्थदण्ड का अनारोपण।

लेखापरीक्षा ने मई 2017 से फरवरी 2019 की अवधि में आठ स0प0अ0/स0स0प0अ0 के अभिलेखों[13] की नमूना जाँच की और देखा (अक्टूबर 2018 एवं मार्च 2019 के मध्य) कि उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों के जाँच किये गये सभी 3,652 मामलों में, उ0प्र0रा0स0प0नि0 ने देय तिथि के उपरांत अतिरिक्त कर जमा किया था। विभाग एक माह से तीन माह की विलम्ब की अवधि हेतु उ0प्र0रा0स0प0नि0 के अन्तर्गत संचालित बसों पर अतिरिक्त कर के भुगतान पर अर्थदण्ड ₹ 4.46 करोड़ (जैसा कि **परिशिष्ट–XIX** में दर्शाया गया है) का आरोपण करने में विफल रहा।

लेखापरीक्षा ने प्रकरण विभाग को प्रतिवेदित किया (दिसम्बर 2018 एवं अप्रैल 2019 के मध्य)। उत्तर (जुलाई 2020) में, विभाग ने बताया कि उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम, 1997 की धारा 9 के अन्तर्गत अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड के देय तिथि के आगणन के लिये कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। उ0प्र0रा0स0प0नि0 के सम्बंध में उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम 1997 की धारा 9(3) के अन्तर्गत, अर्थदण्ड के स्पष्ट प्रावधान न होने के कारण अर्थदण्ड का आरोपण नहीं किया जा सकता।

---

[11] उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 6(1) के साथ नियम 9 व 24 पढ़ा जाय।

[12] वाहन डेटाबेस, मार्ग पत्रावलियाँ आदि।

[13] वाहन डेटाबेस, उ0प्र0रा0स0प0नि0 बसों का मासिक जमा स्क्रॉल, जमा चालान आदि।

विभाग का उत्तर स्वीकार योग्य नहीं है क्योंकि उ0प्र0मो0या0क0 अधिनियम की धारा 9(3), सपठित उ0प्र0मो0या0क0 नियमावली, 1998 के नियम 24 में, कर/अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड के आरोपण किये जाने हेतु देय कर/अतिरिक्त कर के 5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से स्पष्ट प्रावधान है। उपर्युक्त वर्णित प्रावधान सार्वभौमिक रूप से लागू होता है और निगम के लिये कोई अपवाद का प्रावधान नहीं है। अग्रेतर, परिवहन आयुक्त ने विशेष रूप से उ0प्र0रा0स0प0नि0 को अतिरिक्त कर के विलम्ब से भुगतान पर अर्थदण्ड के आगणन विधि को स्पष्ट करने हेतु समय–समय पर पत्र निर्गत किये थे, जो कि स्पष्ट रूप से इंगित करते हैं कि यदि कर या अतिरिक्त कर प्रत्येक कलेण्डर माह के 15वीं तारीख के बाद भुगतान किया जाता है तो, उपर्युक्त वर्णित प्रावधान के अनुसार अर्थदण्ड का भुगतान देय कर/अतिरिक्त कर के पाँच प्रतिशत की दर से करना होगा।

संस्तुतिः

विभाग जे0एन0एन0यू0आर0एम0/उ0प्र0रा0स0प0नि0 के अन्तर्गत संचालित व्यतिक्रमी वाहनों से राजस्व संग्रहण के आवधिक समीक्षा की अनुश्रवण हेतु प्रणाली लागू कर सकता है और अधिनियम/नियमों के प्रावधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करे।

6.6 राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण न किया जाना

राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण कराये बिना सड़क पर संचालित पाये गये 778 माल वाहनों से समेकित एवं प्राधिकार फीस की धनराशि ₹ 1.36 करोड़ की वसूली न किया जाना।

मो0वा0 अधिनियम[14] के अर्न्तगत एक अस्थायी परमिट के अतिरिक्त पाँच वर्षों की अवधि के लिए प्रभावी होगी। के0मो0वा0 नियमावली[15] के अनुसार, राष्ट्रीय परमिट का प्राधिकार एक वर्ष के लिए है। परिवहन आयुक्त के आदेशों (फरवरी 2000) के अनुसार, सम्बन्धित प्राधिकारी परमिट धारक को प्राधिकार समाप्ति के 15 दिनों के भीतर नोटिस जारी करेगा और उससे स्पष्टीकरण की मांग करेगा कि क्यों न प्राधिकार का नवीकरण न कराये जाने के मामले में उनका परमिट रद्द कर दिया जाय तथा निर्धारित समय के भीतर स्पष्टीकरण न प्राप्त होने पर परमिट रद्द कर देगा। राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार हेतु समेकित फीस ₹ 16,500[16] वार्षिक के साथ आवेदन फीस की धनराशि ₹ 1,000 शासकीय खाते में जमा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने आठ स0प0अ0 के अभिलेखों[17] की नमूना जाँच (मई 2017 एवं जनवरी 2019 के मध्य) की और देखा कि राष्ट्रीय परमिट से आच्छादित 6,084 माल वाहनों में से 778 परमिट की वैधता अवधि समाप्त होने के बाद भी राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार का नवीनीकरण कराये बिना, मार्गों पर संचालित (मई 2017 से जनवरी 2019) हो रहे थे। यह सभी सूचनाएं जैसे प्राधिकार समाप्ति की तिथि, भुगतान किया गया कर तथा राष्ट्रीय परमिट धारक वाहनों के अन्य विवरण वाहन डेटाबेस पर उपलब्ध थे। इसके बावजूद, विभाग द्वारा इन मामलों का पता नहीं लगाया गया। स0प0अ0 ने भी इन परमिट धारकों को नोटिस जारी करने व परमिट रद्द करने की कोई कार्यवाही शुरू नहीं की। जिसके परिणामस्वरूप, समेकित फीस एवं प्राधिकार फीस की धनराशि ₹ 1.36 करोड़ की वसूली नहीं की गई (**परिशिष्ट–XX**)।

लेखापरीक्षा ने मामले को विभाग को प्रतिवेदित किया (नवम्बर 2018 एवं अप्रैल 2019 के मध्य)। उत्तर (जुलाई 2020) में, विभाग ने लेखापरीक्षा प्रेक्षण के 778 वाहनों में से 767 के ₹ 1.34 करोड़ धनराशि के लेखापरीक्षा द्वारा प्रतिवेदित मामलों को स्वीकार किया।

---

[14] मो0वा0 अधिनियम की धारा–81।

[15] के0मो0वा0 नियमावली का नियम 87(3)।

[16] सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भा0स0 के आदेश सं0 आर टी–16031/6/2010–टी दिनांक 02 अप्रैल 2012।

[17] राष्ट्रीय परिमिट वाहन का डेटाबेस, सम्बंधित पत्रावलियाँ आदि।

इनमें से विभाग द्वारा 549 वाहनों के मामले में, ₹ 94 लाख की वसूली प्रतिवेदित की गयी। अवशेष 218 वाहनों के मामलों में, निहित कर की धनराशि ₹ 40.32 लाख में, विभाग ने बताया कि वाहन मालिकों को वसूली नोटिस निर्गत किये जा चुके हैं।

तथापि, विभाग ने 11 मामलो में निहित धनराशि ₹ 1.92 लाख तर्कसंगत नहीं माना तथा बताया कि ये सभी वाहन मालिक राष्ट्रीय परमिट निरस्त कराकर सम्पूर्ण उ0प्र0 का परमिट लिये हुये थे और अनापत्ति प्रमाणपत्र (एन0ओ0सी0) लेकर अन्यत्र संचालित हो रहे थे। तथापि, इन 11 वाहनों के सम्बंध में कोई भी विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

संस्तुतिः

विभाग राष्ट्रीय परमिट के प्राधिकार पर नजर रखने के लिये वाहन डेटाबेस का उपयोग करते हुये मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है।

(जयंत सिन्हा)
प्रधान महालेखाकार
(लेखापरीक्षा-II),
उत्तर प्रदेश

लखनऊ
दिनांक 18 जनवरी 2021

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक 27 जनवरी JAN 2021